मध्यप्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
गृह विभाग, मध्यप्रदेश शासन

क्रमांक 670/डी-47/एमपीएसडीएमए/19/प्रशा भोपाल, दिनांक 17.11.2020

विषय :एनडीएमए द्वारा प्रायोजित योजनाएँ (i) आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए Sendai फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन के लिए एक वरिष्ठ सलाहकार एवं (ii) मध्यप्रदेश के 08 चिन्हित खतरे वाले पिछड़े जिलों में डीडीएमए को सुदृढ़ करने हेतु इन जिलों मे 08 सलाहकार की भर्ती

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने "आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) के लिए सेंडाइ फ्रेमवर्क का कार्यान्वयन" नाम से योजना स्वीकृत की है। इस योजना के अंतर्गत एनडीएमए इस प्राधिकरण को एक आपदा प्रबंधन (DM) पेशेवर / वरिष्ठ सलाहकार को अनुबंध के आधार पर रखने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

2. उक्त DM पेशेवर, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंदाई फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन के लिए मध्य प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सहायता प्रदान करेंगे तथा इसके लिए भर्ती (Hiring) हेतु अहर्ताएं एवं शर्तें निम्नानुसार हैं :

Category, Qualification, Experience etc:

1.	Discipline	Disaster Management
2.	Name of Post	Sr. Consultant
3.	Minimum Educational Qualification	Master's Degree in any discipline (preferably in Disaster Management, Social Work, Sociology, Geography, Agriculture, Architecture, Engineering, Urban Planning.)
4.	Experience	Candidates having Master's degree, M.Phil & Ph.D Degree should have minimum experience of 5 years, 4 years & 2 years respectively in fields related to DM. Preference shall be given to those candidates who have worked in any Government / Semi-Government Department.
5.	Age Limit	The Maximum age limit will be 65 years.
6.	Duration	a. For a period of 12 months. Annual extension can be granted till the completion of the project.

		b. The Consultant can be removed at any time by giving one month's notice of the consultant can also resign from the assignment by giving one month's notice to the competent authority. If the performance of the Sr. Consultant is not satisfactory, NDMA may recommend for termination of the contract.
7.	Fee	Rs. 1,00,000/- (One Lakh) per month
8.	Reporting Mechanism	Sr. Consultant shall report to appropriate authority in State/UT and shall maintain co-ordination with NDMA.
9.	Deliverables/ Outcomes	• Technical Assistance in preparation of the Hazard Risk Vulnerability Atlas for the State. • Alignment of State Plans and District Plans in accordance with the Sendai Framework. • Facilitating State/ UT Govt. Departments in preparation of their Departmental Disaster Management Plan. • Coordination Mock Drills, compiling reports, compiling data during disasters, help in organization of joint workshops with States. • Compiling and timely furnishing of data and information to NDMA on disaster aspects, implementation of NDMA Schemes, and Sendai Framework Monitoring indicators. • Enhancing disaster preparedness for effective response and to "Build Back Better" in recovery, rehabilitation and reconstruction. • Help in setting up of the Disaster Data Base at the State and District level. • Collection of reports about the lessons learnt and best practices form the State and exchange/sharing of these among the States and NDMA. • Assist the SDMA in identifying opportunities for mainstreaming Disaster Risk Reduction (DRR) in development programmes. • Any other tasks assigned by SDMA/NDMA.

Precise Statement of Objectives: Suggest measures for integration of mitigation measures in the development plans of State/UT Governments.

Outline of the task to be carried out: In addition to the work pertaining to deliverables and outcomes of the Scheme, the following tasks are to be performed:

(a) Support the State Governments in taking measures for implementation of Sendai Framework for Disaster Risk Reduction and reporting on the Sendai Framework Monitoring indicators.

(b) To develop coordination mechanism with the aim of implementing Sendai Framework at State and District levels.

(c) To ensure implementation of Programmes and Schemes of NDMA by States/UTs.

(d) To help in capacity building and training activities carried out by NDMA.

(e) Liaison with the SDMAs, Relief Commissioners and other Government Departments dealing with Disaster Management.

3. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की योजना 'Improving Disaster Risk Governance at SDMAs/ DDMAs level' की उप-योजना 'अन्य आपदा प्रबंधन योजना (ODMS)' के अंतर्गत मध्यप्रदेश के आठ जिलों को चिन्हित किया है : राजगढ़, दमोह, छतरपुर, खण्डवा, विदिशा, गुना, बड़वानी और सिंगरोली।

4. इस योजना के अंतर्गत NDMA इस प्राधिकरण को आठ सलाहकार को अनुबंध के आधार पर रखने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। उपरोक्त योजना के कार्यान्वयन के लिए सलाहकार की भर्ती (Hiring) की जानी है जिसके लिए अहर्ताएं एवं शर्तें निम्नानुसार है :

Category, Qualification and Experience etc.:

1.	Discipline	Disaster Management
2.	Name of Post	Consultant
3.	Minimum Educational Qualification	Master's Degree in any discipline (preferably in Disaster Management, Social Work, Sociology, Geography, Agriculture, Architecture, Engineering, Urban Planning)
4.	Experience	Candidates having Master's degree & Ph.D Degree should have minimum experience of 3 years & 1 years respectively in fields related to DM. Preference shall be given to those candidates who have worked in any Government / Semi – Government department
5.	Age Limit	The maximum age Limit will be 65 years.
6.	Duration	a. For a period of 12 months. Annual extension can be granted till the completion of the project. b. The Consultant can be removed at any time by giving one month's notice or the Consultant can also resign from the assignment by giving one month's notice to the competent authority. If the performance of the Consultant is not satisfactory, NDMA may recommend for termination of the contract.
7.	Fee	Rs. 70000/- per month.
8.	Reporting Mechanism	Consultant shall report to appropriate authority in the district and shall maintain coordination with SDMA/ NDMA.
9.	Deliverables/ Outcomes	• Alignment of District Plans in accordance with the provisions of the Disaster Management Act, Sendai Framework and State Plan. • Coordination of Mock Exercises at various location in these districts. • Training of officials for capacity building for better preparedness and effective response measures. • Creation of awareness about Disaster Risk Management. • Compiling and timely furnishing of data and information to SDMA on Disaster aspects and Sendai Framework Monitoring indicators.

		• Improved coordination of the District Administration with Taluka and Panchayat level for effective preparedness, response and mitigation measures. • Help in setting up of the Disaster Data Base at the District Level. • Assist the DDMA in identifying opportunity for mainstreaming Disaster Risk Reduction (DRR) in development programmes. • Any other task assigned by SDMA/ DDMA.

Precise Statement of Objective: To provide technical assistance for Disaster Risk Management as per Sendai Framework / State Plan and suggest measures for integration of mitigation measure in the development plans of District Administration.

Outline of the tasks to be carried out: In addition to the work pertaining to deliverables and outcomes of the Scheme, the following task are to be performed:

(a) Support the District Administration in taking measures for implementation of Sendai Framework for Disaster Risk Reduction.
(b) To develop coordination mechanism with the aim of implementing Sendai Framework at District Level.
(c) To help in capacity building and training activities carried out by NDMA.
(d) To facilititate creation of awareness about Disaster Risk Management.

5. एनडीएमए द्वारा इस पद के लिए निर्धारित की गई शैक्षणिक अहर्ता एवं कार्यानुभव अनुसार, आवेदकों के द्वारा उपलोड किए गए दस्तावेज़ों की स्क्रीनिंग कर, उम्मीदवारों के आपदा प्रबंधन के क्षेत्र मे कार्यानुभव (शासकीय / अर्धशासकीय कार्यालय मे सेवा के लिए 5 अंक प्रतिवर्ष एवं अशासकीय सेवा के लिए 1 अंक प्रतिवर्ष) के आधार पर रिक्त पदों के अधिकतम दस गुना उम्मीदवारों को साक्षात्कार समिति के समक्ष बुलाया जाएगा एवं साक्षात्कार समिति द्वारा प्रदत्त अंको के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। यदि दो उम्मीदवारों के अंक समान हैं, तो अधिक कार्यानुभव वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी। उक्त भर्ती के लिए आवेदन सीधे एमपी ऑनलाइन के पोर्टल (www.mponline.gov.in) पर करें, किसी अन्य माध्यम से नहीं। एमपी ऑनलाइन द्वारा आवेदकों से रुपए 200/- के रूप मे आवेदन शुल्क (कर अतिरिक्त) एवं रुपए 50/- editing शुल्क (कर अतिरिक्त) के रूप मे प्राप्त किया जाएगा। शुल्क सीधे mponline को देय होगा अन्य किसी को नहीं।

6. महत्वपूर्ण शर्तें :

(1) संविदा अवधि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ हुए एमओयू /Terms of Reference मे उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार ही आगे बढ़ाई जा सकेगी।

(2) मध्य प्रदेश जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण हेतु चयनित उम्मीदवार सचिव (गृह) एवं समन्वयक राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधीन कार्य करेंगे।

(3) सलाहकार के रूप में चयनित आवेदक को समय-समय पर डाटा संग्रहण एवं अन्य कार्य हेतु विभिन्न जिलो में वृहद यात्राएँ करनी होंगी।

(4) आवेदक को हिंदी एवं अंग्रेजी में कंप्यूटर पर कार्य करने का व्यावहारिक ज्ञान (डाटा, संग्रहण, विश्लेषण, दस्तावेजीकरण तथा प्रस्तुतीकरण) होना चाहिये।

(5) आवेदक भारत का नागरिक हो, हिंदी एवं अंग्रेजी का व्यावहारिक ज्ञान आवश्यक है।

(6) संविदा पदों के लिये निर्धारित शैक्षणिक अहर्ताएं / अनुभव न्यूनतम है।

(7) आवेदक अपनी अर्हताओं की जाँच स्वय कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेंजें, चयन में किसी भी स्तर पर आवेदक के अयोग्य पाये जाने पर उनका आवेदन निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जावेगी।

(8) विज्ञापित पद के अनुभव प्रमाण पत्र के संबंध में ये उल्लेख होना चाहिए कि संबंधित संस्था में कितने मासिक वेतन पर किस दिनांक से किस दिनांक तक कार्यरत रहे हैं जिसके ना होने से उम्मीदवार को आवेदन मूलतः निरस्त किया जा सकता है।

(9) उपर्युक्त पद पर चयनित उम्मीदवार को पृथक से कोई विशेष सुविधा / लाभ नहीं दिया जाएगा।

(10) उपरोक्त पद पर चयनित उम्मीदवार पूर्णतः संविदा आधार पर विभाग में कार्य करेंगे एवं उन्हें विभाग में पूर्णकालिक पद पर नियुक्ति की कोई पात्रता नहीं होगी। नियमित शासकीय सेवा अथवा पेंशन की पात्रता नहीं होगी।

(11) परियोजना की आवश्यकतानुसार पदों की संख्या बढ़ाई / घटाई जा सकती है। मेरिट सूची घोषित होने की दिनांक से 01 वर्ष तक वैध रहेगी जिससे इन पदों की रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति की जा सकेगी।

(12) भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने तथा किसी भी परिवाद के लिये अंतिम निर्णय लेने का अधिकार सचिव (गृह) एवं राज्य समन्वयक, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का होगा।

7. महत्वपूर्ण तिथियाँ :

सरल क्रमांक	कार्य	दिनांक
01	इच्छुक आवेदकों द्वारा www.mponline.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन जमा करने तथा ऑनलाइन आवेदन मे यदि कोई गलती है तो उसको ठीक करने की अवधि।	दिनांक 05.12.2020 से लेकर 14.12.2020 की मध्य रात्रि तक

8. साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने हेतु अन्य महत्वपूर्ण निर्देश :

(1) साक्षात्कार के लिए योग्य पाये गए उम्मीद्वारों को साक्षात्कार की तिथि, समय एवं स्थान की सूचना MPONLINE द्वारा उनके ऑनलाइन आवेदन मे प्रदाय किए गए ई-मेल एवं SMS के माध्यम से दी जाएगी। साथ ही इसका प्रकाशन MPONLINE की वैबसाइट पर किया जाएगा।

(2) चयन के समय अथवा भविष्य में यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी द्वारा अपने दस्तावेज़ / अंकसूची, इत्यादि कूटरचित / फर्जी / बनावटी प्रस्तुत किए हैं अथवा उसका चयन गलत जानकारी के आधार पर हुआ है तो उसको तत्काल अनुबंध सेवा से ना केवल पृथक किया जाएगा, वरन उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

(3) उम्मीदवारो के सभी ब्यौरे / डाक्यूमेंट) की जांच होगी यदि कोई परिवर्तन है, प्रासंगिक साक्ष्य के साथ प्राधिकरण के संज्ञान में लाया जायेगा।

(4) परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन के लिये आवेदन पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जायेगा।

(5) उम्मीदवार परीक्षा की तारीख, केन्द्र का पता, रिपोर्टिंग का समय ध्यान रखें। उम्मीदवारों को कम से कम 60 मिनट पहले परीक्षा केन्द्र में उपलब्ध होने की सलाह दी जाती है। परीक्षण के दौरान उम्मीदवार परीक्षा केन्द्र प्रतिनिधि/ अधीक्षक द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करें।

(6) प्रवेश-पत्र, फोटो आईडी सहित उक्त 08 दस्तावेज़ों के बिना उम्मीदवारों को परीक्षण मे उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(7) इलेक्टानिक उपकरणों जैसे – इलेक्टानिक डायरी, सेलफोन (मोबाइल), कैमरा आदि परीक्षण स्थल में लाने की अनुमति नहीं है।

(8) यदि कोई उम्मीदवार प्रतिबंधित/अनाधिकृत कृत्य मे लिप्त पाया गया, उसका/उसकी उम्मीदवारी अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।

(9) साक्षात्कार मे उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को किसी भी प्रकार का मानदेय या भत्ता देय नहीं होगा।

9. साक्षात्कार के समय अनिवार्य रूप से आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले आरिजिनल (मूल) दस्तावेज़ (निम्न 8 मे से किसी भी एक दस्तावेज़ के साक्षात्कार के समय ना प्रस्तुत करने की स्थिति मे अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त हो जावेगी) :

(1) आवेदक को निम्न मे से कोई भी एक आई डी का आरिजिनल (मूल प्रति) उक्त परीक्षण मे प्रवेश के समय दिखाना होगा, जिसके ना होने पर उन्हे परीक्षण केंद्र मे प्रवेश की अनुमति नहीं दी जावेगी: वोटर आई डी / आधार कार्ड / पैन कार्ड / ड्राइविंग लैसेंस /केंद्र अथवा राज्य शासन के द्वारा उनके कर्मचारियों को प्रदत्त आई डी / पासपोर्ट / राष्ट्रीयकृत बेंकों द्वारा प्रदत्त फोटोयुक्त पास बुक / दसवीं / बारहवीं का फोटोयुक्त अंकसूची

(2) mponline से डाउनलोड किया गया पेमेंट रेसिप्ट

(3) दो नवीनतम पासपोर्ट साइज़ रंगीन फोटो

(4) निवास का प्रूफ

(5) अंकसूची जिसमे जन्मतिथि अंकित हो

(6) शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण

(7) कार्य अनुभव के सभी प्रमाण पत्र – शासकीय / अर्ध-शासकीय कार्यालय मे कार्यानुभव का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को उक्त शासकीय / अर्ध-शासकीय कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनकी पदमुद्रा (सील) / विभागीय लेटरहेड पर जारी आरिजिनल (मूल) प्रमाणपत्र जिसमे उनके कार्य अनुभव की तिथि ('दिनांक से' से 'दिनांक तक') का स्पष्ट उल्लेख हो, को स्कैन कर उपलोड करें एवं आरिजिनल (मूल) प्रमाणपत्र साक्षात्कार के समय आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। उसी प्रकार अशासकीय (प्राइवेट) कार्यालय में कार्यानुभव का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को उक्त कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनकी पदमुद्रा (सील) / विभागीय लेटरहेड पर जारी आरिजिनल (मूल) प्रमाणपत्र जिसमे उनके कार्य अनुभव की तिथि ('दिनांक से' से 'दिनांक तक') का स्पष्ट उल्लेख हो, को स्कैन कर उपलोड करें एवं आरिजिनल (मूल) प्रमाणपत्र साक्षात्कार के समय आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

(8) ऐसे अभ्यर्थी जो किसी शासकीय / अर्धशासकीय या सार्वजनिक उपक्रम में स्थायी रूप से कार्यरत हैं, साक्षात्कार के समय नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

उपरोक्त ऑनलाइन आवेदन के संबंध मे किसी भी जानकारी के लिए एमपी ऑनलाइन के दूरभाष क्रमांक 0755-6720200 पर संपर्क किया जा सकता है।

सहायक संचालक (प्रशासन)